

I/135835/2023

भारत सरकार
केंद्रीय जल आयोग
स्थापना छः अनुभाग

तीसरी मंजिल, सेवा भवन,
आर.के. पुरम, नई दिल्ली-66

दिनांक 2 जून, 2023

कार्यालय आदेश

अमित कुमार पूर्व कनिष्ठ अभियंता, केन्द्रीय जल आयोग ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य में दो वर्ष से अधिक की सेवा पूर्ण कर लिया है और उन्होंने पुनः ग्रहणाधिकार अवधि विस्तार के लिए कोई आवेदन नहीं किया है। इस सन्दर्भ में श्री अमित कुमार के वर्तमान विभाग को भी पत्र लेखे गए। परन्तु वहां से भी कोई जवाब नहीं मिला है।

अतः केन्द्रीय जल आयोग में दिनांक 29.12.2020 से 28.12.2022 तक दो साल की ग्रहणाधिकार अवधि पूर्ण होने पर श्री अमित कुमार की ग्रहणाधिकार (lien) 29.12.2022 से समाप्त किया जाता है।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

Signed by Seema Juneja
Date: 02-06-2023 16:27:53
Reason: Approved

(सीमा जुनेजा)
अवर सचिव
011-29583534

1. वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
2. अधीक्षण अभियंता (सम.), टी एंड बीडीबीओ, केन्द्रीय जल आयोग, कोलकाता।
3. श्री अमित कुमार, पूर्व कनिष्ठ अभियंता, केन्द्रीय जल आयोग।
4. केन्द्रीय जल आयोग की वेबसाइट पर।
5. अधिराष्ट्रीय अभियंता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश।